

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2165/2010/जयपुर

मैसर्स नेहा इण्टरनेशनल  
12 आर.ए.सी.रोड, तकिया यकीन शाह  
तोपखाना हजूरी, जयपुर

अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
घट-प्रथम, वृत्त-डी, जयपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ  
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित

श्री विक्रम गोगरा

अभिभाषक

श्री रामकरण सिंह

उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 06.02.2017

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

1. अपीलार्थी-व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 133/अपील्स-II/आरएसटी/जयपुर/डी/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-प्रथम, वृत्त-डी, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.07.2008 के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 37 के तहत प्रस्तुत अपील को अपास्त किया है।

2. इस संबंध में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा जैम्स एवम् स्टोन् के पंजीकृत व्यवहारियों के राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 4.(4)एफडी/टैक्स डिवी/99/221 दिनांक 30.04.1999 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अन्तर्गत कर के स्थान पर प्रशमन राशि भुगतान के लिये गये विकल्प के तहत निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिये निर्धारित प्रशमन राशि रु.2500/- को आधार मानकर, निर्धारण वर्ष 2005-06 के संबंध में 105 प्रतिशत प्रशमन राशि रु. 2,625/- निर्धारित की गयी परन्तु व्यवहारी द्वारा आलोच्य निर्धारण वर्ष 2005-06 में रु. 2100/- ही प्रशमन राशि के रूप में जमा कराने के कारण, निर्धारण अधिकारी द्वारा अंतर प्रशमन राशि रु. 525/- व इस संबंध में अनुवर्ती ब्याज रु. 919/- आरोपित किया जाकर, निर्धारण आदेश दिनांक 04.03.2008 पारित किया गया। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त पारित निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी ने अधिनियम की धारा 37 के तहत परिशोधन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसे जरिये आदेश दिनांक 18.07.2008 के अस्वीकार कर दिया गया। सशक्त अधिकारी के उक्त



आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी गयी, जिससे व्यथित होकर, कर बोर्ड में अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

3. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने में विधिक भूल की गयी है जैसा कि राज्य सरकार द्वारा जैम्स एवम् स्टोन के पंजीकृत व्यवहारियों के लिये अधिसूचित ऊपर वर्णित अधिसूचना दिनांक 30.04.1999 (समय-समय पर यथा संशोधित) में जरिये अधिसूचना क्रमांक एफ 4(4)एफडी/टैक्स-डिवी/99-पार्ट-66 दिनांक 28.06.2003 के संशोधन किया जाकर इसके क्लॉज 2.0(a) में प्रशमन राशि का निर्धारण दिनांक 28.03.2001 को अथवा दिनांक 28.03.2001 के पहले कर के स्थान पर प्रशमन राशि का भुगतान का विकल्प लेने पर तत्काल पूर्व वर्ष के वार्षिक सकलावर्त के आधार पर आलोच्य निर्धारण वर्ष 2005-06 में प्रशमन राशि रू. 2,100/- ही भुगतान करने का दायित्व है । क्लॉज 2.0(b) के अनुसार दिनांक 29.03.2001 को अथवा इसके पश्चात् प्रशमन राशि विकल्प लेने की दशा में, तत्काल पूर्व वर्ष वार्षिक सकलावर्त पर शमन राशि 2,500/- देय है । अग्रिम तर्क दिया कि शमन राशि पूर्व निर्धारण वर्ष 2003-04 व पश्चात्वर्ती वर्षों के लिये पूर्व वर्ष की निर्धारित शमन राशि का 105 प्रतिशत भुगतान योग्य है । उनका यह भी तर्क दिया कि ऊपर वर्णित अधिसूचना दिनांक 30.04.1999 (समय-समय पर यथा संशोधित) के तहत अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा शमन राशि भुगतान का पूर्व में ही यानी दिनांक 28.03.2001 से पूर्व ही प्रशमन राशि भुगतान का विकल्प लिया जाकर, अधिसूचित स्लैब्स के अनुसार, अधिसूचित शमन राशि का भुगतान निर्धारण वर्ष 1999-2000, 2000-01, 2001-02 व 2002-03 व 2003-04 (पांचों वर्ष) के लिये किया गया था अतः ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी व्यवहारी को नया विकल्पधारी मानना उचित नहीं है। तत्पश्चात्, वर्ष 1999 की उक्त अधिसूचना में किये गये संशोधन दिनांक 28.06.2003 के प्रकाश में, आगामी पांच वर्षों के लिये नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 30.04.2004 को प्रस्तुत किया गया था। अतः ऐसी स्थिति में, उसके द्वारा अधिसूचना दिनांक 28.06.2003 के क्लॉज 2.0(a) के आलोक में ही विकल्प दिनांक 29.03.2001 से पूर्व लेने के कारण, इस संबंध में शमन राशि निर्धारण वर्ष 2005-06 के लिये रू.2,100/- ही भुगतान करने का दायित्व था । अतः निर्धारण अधिकारी द्वारा अतिरिक्त अंतर प्रशमन राशि रू. 525/- व आरोपित ब्याज रू. 184/- कुल रू.709/- अभिलेख की प्रकट भूल होने के कारण, मूल आदेश दिनांक 04.03.2008 परिशोधनीय था। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर, अतिरिक्त कायम की गयी



प्रशमन राशि व अनुवर्ती ब्याज को अपास्त कर, अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

4. प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर, निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारीके द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया

5. उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया । इस संबंध में ऊपर वर्णित अधिसूचना दिनांक 30.04.1999 (समय-समय पर यथा संशोधित) व अधिसूचना दिनांक 28.06.2003 को संशोधित क्लॉज 2.0(a) व 2.0(b) का गहन अध्ययन किया गया । प्रकरण के किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पूर्व संशोधित क्लॉज के एक भाग को उद्धृत किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-

***“The composition amount for the year 2002-03 and subsequent thereto, the composition amount shall be 130% of the composition amount determined for the immediately preceding year. However, for the year 2003-04 and subsequent there to, the composition amount shall be 105% of the composition amount determined for immediately preceding year.”***

6. इस संबंध में रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि अपीलार्थी व्यवहारियों द्वारा राज्य सरकार द्वारा ऊपर वर्णित जारी अधिसूचना दिनांक 30.04.1999 (समय-समय पर यथा संशोधित) के आलोक में पूर्व में लिये गये विकल्प आवेदन पत्र व इस संबंध में पूर्व के 5 वर्षों के लिये जारी शमन प्रमाण पत्रों की प्रतियां मौजूद नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में, इस संबंध में तथ्यात्मक स्थिति के बारे में किसी प्रकार का निष्कर्ष अवधारित कर, निर्णय पारित किया जाना संभव नहीं है । लिहाजा, हस्तगत प्रकरण में उपर्युक्त वर्णित साक्ष्य रिकॉर्ड पत्रावली पर मौजूद होने के अभाव में, विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । अतः सशक्त अधिकारी व अपीलीय अधिकारी द्वारा परिशोधन आवेदन पत्र को अस्वीकार करने के संबंध में पारित निर्णय अपास्त किये जाकर, प्रकरण प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी के प्रकरण में सुसंगत समस्त साक्ष्य रिकॉर्ड पर लेकर, इस संबंध में अधिसूचना दिनांक 30.04.1999 में समय-समय पर हुये संशोधन विशेष रूप से अधिसूचना दिनांक 28.06.2003 के प्रावधानों के आलोक में पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें।



7. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर, प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर कार्यवाही करने हेतु प्रकरण प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

8. निर्णय सुनाया गया ।



( खेमराज )  
अध्यक्ष